रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 647] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 21, 2017/आषाढ़ 30, 1939
No. 647] NEW DELHI, FRIDAY, , JULY 21, 2017/ASADHA 30, 1939

lkekftd U;k; vkj vf/kdkfjrk e=kky;

¼fn0;kxtu l'kfDrdj.k foHkkx½

'kf) i=

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2017

lk-dk-fu- 939¼v½—भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 591(अ), तारीख 15 जून, 2017 में,—

1) पृष्ठ 9 की पंक्ति 1 में ''1 जनवरी को 60 वर्ष का होना चाहिए'' के स्थान पर ''1 जनवरी को 60 वर्ष से अधिक आयु का न हो'', और

2) पृष्ठ 9 की पंक्ति 13 में ''1 जनवरी को 56 वर्ष का होना चाहिए'' के स्थान पर ''1 जनवरी को 56 वर्ष से अधिक आयु का न हो'', पढ़ा जाए।

[फा. स. 03—01—2017—डीडी —III]

डौली चक्रबर्ती, संयुक्त सचिव

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.07.22 16:22:33 +05'30'

4456 GI/2017

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.